न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 16/2018

दायर दिनांक : 20.06.2018

आदेश दिनांक : 10.10.2019

श्री विष्णुकान्त पिता जीवनलाल गुर्जर निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, एवं अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द
4. नगर परिषद्, राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थित

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
5. अप्रार्थी संख्या 04 अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04.10.2013 को अवाप्तशुदा भूमि राजस्व ग्राम तरसिंगडा में स्थित आराजी नम्बर 572/406 रकबा 04 बीघा 11 बिश्वा मे से 0.1740 वर्गमीटर भूमि के संबंध में प्रार्थी अवाप्तशुदा भूखण्ड 3250.50 वर्गफीट के संबंध में चुनौती दी गई है जिसमें यह तथ्य उल्लेखित किये गये है कि अवाप्तशुदा भूमि वैभव लेण्डकॉम प्रा0लि0 द्वारा कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा वाणिज्यिक/आवासीय रूपान्तरण का पट्टा संख्या 3653 दिनांक 25.08.2009 को नगरपालिका राजसमन्द से जारी करवाया है जिसका भूखण्ड संख्या 05 व 05 ए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से प्रार्थी ने दिनांक 02.02.2011 को क्रय किया है। जो 4,00,000/—रूपये के प्रतिफल पर क्रय किया गया है जिसकी तत्कालीन डी0एल0सी0 4,52,000/—रूपये थी। उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड अवाप्ति में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय मे प्रकरण संख्या 47/2016 ई0दी का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें विपक्षी द्वारा सक्षम अधिकारी से मुआवजा अदा करने की जवाबदेही प्रस्तुत किये जाने से वाद को विड्रो किया है। प्रार्थी स्वयं व अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त अवाप्तशुदा भूखण्ड का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत दिलाये जाने का प्रतिवेदन पेश किया तथा उसके उपरान्त भी राशि नहीं दिलाये जाने पर यह याचिका पेश की गयी है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूमि प्रार्थी के खाते मे न होकर बिलानाम सरकार नगरपालिका के नाम पर अंकित है तथा प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम व प्रमाण पेश नहीं किये है। जिससे मुआवजा अदायगी की कार्यवाही लम्बित है। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद पेश करना स्वीकार है। विपक्षी ने नियमानुसार तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से मुआवजा तय करता है किन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम व वैध दस्तावेज पेश नहीं किये है। इसलिए कार्यवाही लम्बित है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से मुआवजा प्राप्त करना चाहता है। जो देय नहीं है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम तरसिंगडा के खसरा नं0 572/406 रकबा 0.1375 हैक्टर (0.0392 वाणिज्यिक व 0.0993 आवासीय) जो राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार अधीनस्थ नगरपालिका राजसमन्द हितबद्ध व्यक्ति दर्ज है। अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा जो मुआवजा निर्धारित किया गया है उस अनुसार राशि सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जानी है। सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम तरसिंगडा की आराजी नं0 572/406 रकबा 0.0392 हैक्टर व 0.0993 हैक्टर भूमि बाबत दिनांक 22.03.2018 को हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में अवार्ड जारी किया गया है। जो भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जिसके भुगतान की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के मार्फत ही की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

ग्राम तरसिंगडा में स्थित आराजी नम्बर 572/406 रकबा 04 बीघा 11 बिश्वा मे से 0.1740 वर्गमीटर भूमि के संबंध में प्रार्थी अवाप्तशुदा भूखण्ड 3250.50 वर्गफीट के संबंध में चुनौती दी गई है जिसमें यह तथ्य उल्लेखित किये गये है कि अवाप्तशुदा भूमि वैभव लेण्डकॉम प्रा0लि0 द्वारा कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करा वाणिज्यिक/आवासीय रूपान्तरण का पट्टा संख्या 3653 दिनांक 25.08.2009 को नगरपालिका राजसमन्द से जारी करवाया है जिसका भूखण्ड संख्या 05 व 05 ए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से प्रार्थी ने दिनांक 02.02.2011 को क्रय किया है। जो 4,00,000/–रूपये के प्रतिफल पर क्रय किया गया है जिसकी तत्कालीन डी0एल0सी0 4,52,000/–रूपये थी। उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड अवाप्ति में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय मे प्रकरण संख्या 47/2016 ई0दी का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें विपक्षी द्वारा सक्षम अधिकारी से मुआवजा अदा करने की जवाबदेही प्रस्तुत किये जाने से वाद को विड्रो किया है। प्रार्थी स्वयं व अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त अवाप्तशुदा भूखण्ड का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत दिलाये जाने का प्रतिवेदन पेश किया तथा उसके उपरान्त भी राशि नहीं दिलायी गयी है। विपक्षी ने अपने जवाबदेही में प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22.03.2018 को संशोधित अवार्ड जारी करना बताया है लेकिन इस बाबत प्रार्थी को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। न ही अवार्ड की प्रति उपलब्ध करवायी गयी है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत उक्त मामले में दिनांक 01.01.2015 से लागू हो चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश/आदेश इसी से लगी हुई भूमि के संबंध में प्रदान किये गये हैं लेकिन प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत

भुगतान नहीं की गयी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

विपक्षी संख्या 01 के द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त भूमि प्रार्थी के खाते मे न होकर बिलानाम सरकार नगरपालिका के नाम पर अंकित है तथा प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम व प्रमाण पेश नहीं किये है। जिससे मुआवजा अदायगी की कार्यवाही लम्बित है। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद पेश करना स्वीकार है। विपक्षी ने नियमानुसार तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से मुआवजा तय करता है किन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक कोई क्लेम व वैध दस्तावेज पेश नहीं किये है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी की याचिका आधारहीन है अतः खारिज फरमायी जावे।

विपक्षी संख्या 02 के द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम तरसिंगडा की आराजी नं0 572/406 रकबा 0.0392 हैक्टर व 0.0993 हैक्टर भूमि बाबत दिनांक 22.03.2018 को हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में अवार्ड जारी किया गया है। जो भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जिसके भुगतान की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के मार्फत ही की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा याचिका पेश किये जाने के उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 22.03.2018 को अवाप्तशुदा भूमि के संबध में संशोधित अवार्ड भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाकर भुगतान किया जाना ही शेष है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी संख्या 01 के यहां पर उसके पक्ष मे जारी संशोधित अवार्ड प्राप्ति हेतु नियमानुसार क्लेम आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें तथा विपक्षी प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये जाने पर नियमानुसार प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भुगतान किये जाने की कार्यवाही करें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा क्लेम एवं दस्तावेज पेश करने पर प्रार्थी के पक्ष में जारी शुदा संशोधित अवार्ड की राशि नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)